



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4, 1993/भाद्र 13, 1915
No. 523] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 1993/BHADRA 13, 1915

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1993

का.आ. 662(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम न्यू बैंक आफ इंडिया (उपक्रमों का समामेलन और अन्तरण) स्कीम, 1993 है।

(2) यह उप तागोख को प्रवृत्त होंगी जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं:

इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) अभिप्रेरित है;

(ख) "बोर्ड" से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खण्ड 3 के अधीन गठित निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक के संबन्ध में "अध्यक्ष" से उस बैंक के बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "अन्तरिती बैंक" से पंजाब नेशनल बैंक अभिप्रेत है;

(ङ) "अन्तरक बैंक" से न्यू बैंक आफ इंडिया अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ है जो उनके क्रमशः उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

3. न्यू बैंक आफ इण्डिया के उपक्रम का पंजाब नेशनल बैंक में निहित होना :

इस स्कीम के प्रारम्भ पर न्यू बैंक आफ इण्डिया का उपक्रम पंजाब नेशनल बैंक को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगा।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव :

(1) अंतरक बैंक के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत अंतरक बैंक से संबंधित उपक्रमों की सभी आस्तियाँ, अधिकार, शक्तियाँ, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी जंगम और स्थावर संपत्ति, रोकड़ अतिशेष, पूंजी, आरक्षित निधियाँ, विनिधान और ऐसी संपत्ति में या उससे उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित, जो इस स्कीम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उपक्रमों के संबंध में अंतरक बैंक के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे चाहे वे भारत में या भारत के बाहर हों, और सभी लेखा बहियाँ, रजिस्टर, अभिलेख और उससे संबंधित सभी अन्य वस्तावेज चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, आते हैं, और इनके अन्तर्गत वे सभी उधार, दायित्व और बाध्यताएँ, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, भी समझी जाएंगी, जो उपक्रमों के संबंध में अंतरक बैंक की उस समय हों।

(2) जहाँ कोई संपत्ति अंतरक बैंक द्वारा किसी पट्टे के अधीन धारित की गई है, वहाँ अंतरिती बैंक, इस स्कीम के प्रारम्भ की तारीख से ही, ऐसी संपत्ति के संबंध में पट्टेदार हो गया समझा जाएगा, मानो ऐसी संपत्ति के संबंध में पट्टा अंतरिती बैंक को मंजूर किया गया था और तदुपरि ऐसे पट्टे के अधीन सभी अधिकार अंतरिती बैंक को अंतरिती और उसमें निहित किए गए समझे जाएंगे।

परन्तु यह कि इस उपखण्ड में निर्दिष्ट किसी पट्टे की अवधि की समाप्ति पर ऐसा पट्टा, यदि अंतरिती बैंक द्वारा ऐसी वान्छा की जाए तो, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर नवीकृत किया जाएगा जिन पर पट्टा अंतरक बैंक द्वारा इस स्कीम के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्व धारित किया गया था।

(3) यदि भारत से बाहर किसी देश की विधियों के अनुसार, इस स्कीम के उपबंध उस देश में स्थित किसी ऐसी आस्ति या दायित्व को, जो अंतरक बैंक के उपक्रम का भाग हैं, अंतरिती बैंक को अंतरित या उसमें निहित करने का प्रभाव स्वयं नहीं रखते हैं तो ऐसी आस्ति या दायित्व के संबंध में अंतरक बैंक के कार्यकलाप, इस स्कीम के प्रारम्भ से ही, अंतरिती बैंक के तत्समय मुख्य कार्यपालक अधिकारी में न्यस्त हो जाएंगे और मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी

सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे सब कार्य और बातें कर सकेगा जो प्रभावी रूप से ऐसी आस्तियों के अंतरण और ऐसे दायित्वों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए अंतरक बैंक द्वारा प्रयुक्त की जा सकती हैं या की जाती हैं।

(4) अंतरिती बैंक का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपखण्ड (2) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऐसी सब कार्यवाही करेगा जो ऐसे अंतरण या निहित करने के प्रयोजन के लिए भारत से बाहर के किसी ऐसे देश की विधियों द्वारा अपेक्षित हो तथा स्वयं या अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की मार्फत, अंतरक बैंक की किसी आस्ति को वमूल कर सकेगा और उसके किसी दायित्व का उन्मोचन कर सकेगा।

(5) जब तक इस स्कीम द्वारा स्पष्टतः अन्यथा उपबंधित नहीं है, ऐसी सब संविदाएँ, विलेख, बंधपत्र, करार, मुख्यतार-नामे, विधिक प्रतिनिधित्व के; अनुदान और किसी भी प्रकृति की अन्य लिखते, जो इस स्कीम के प्रारम्भ के ठीक पहले अस्तित्वशील या प्रभावशाली हैं और जिनमें बैंक एक पक्षकार है या जो अंतरक बैंक के पक्ष में है, अंतरिती बैंक के विरुद्ध या उसके पक्ष में वैसे ही पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावशाली होंगी और वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप से प्रवर्तित या कार्यान्वित की जा सकेंगी मानो अंतरक बैंक के स्थान पर अंतरिती बैंक उनमें एक पक्षकार रहा हो या मानो वे अंतरिती बैंक के पक्ष में जारी की गई हों।

(6) यदि अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध किसी ऐसे उपक्रमों के, जो खण्ड 3 के अधीन अंतरित किए गए हैं, किसी कारण के संबंध में कोई वाद, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य कार्यवाही, इस स्कीम के प्रारम्भ के ठीक पहले, लंबित है तो अंतरक बैंक के उपक्रमों के अंतरित होने या इस स्कीम में किसी बात की होने के कारण वह उपशमित या बंद या किसी प्रकार से प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होगी, किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अंतरिती बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी।

5. निदेशक बोर्ड का विघटन :

(1) इस स्कीम के प्रारम्भ से,—

(क) अंतरक बैंक का अध्यक्ष या कोई अन्य पूर्णकालिक निदेशक जिसमें प्रबन्ध निदेशक भी है पद धारण करने से प्रवर्तित हो जाएगा और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खण्ड 8 के उपखण्ड (2) में विनिर्दिष्ट तीन मास की सूचना के बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा;

(ख) अंतरक बैंक का निदेशक बोर्ड विघटित हो जाए गा

(2) इस स्कीम में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, अंतरक बैंक का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी इस स्कीम के प्रारम्भ में अन्तरिती बैंक का, यथास्थिति, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा और उस बैंक में अपना पद या सेवा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों सहित धारण करेगा जो यदि अंतरक बैंक के उपक्रम अंतरिती बैंक को अंतरित और उसमें निहित न हुए होते तो, उसको अनुज्ञेय होते, तथापि ऐसा अंतरिती बैंक के समरूप स्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को अंतरण के समय ऐसी सुविधाओं के उपलब्ध होने के अधीन रहते हुए होगा, और ऐसा तब तक करेगा रहेगा जब तक अंतरिती बैंक में उस का नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाए या जब तक उसका पारिश्रमिक निबंधन या शर्तें अंतरिती बैंक द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित न कर दी जाएं ।

(3) अंतरक बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो उपखण्ड (2) के अधीन अंतरिती बैंक में उसका पद या सेवा धारण करना नहीं चाहता अपना पद या सेवा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों सहित जो, यदि अंतरक बैंक को उपक्रम अंतरिती बैंक की अंतरित और उसमें निहित न हुआ होता तो, उसको अनुज्ञेय होते, छोड़ने का हकदार होगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, इस स्कीम के प्रारम्भ के बाद यथा शक्य शीघ्र, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् अंतरक बैंक के कर्मचारियों के स्थानन या अवधारण करने के लिए, जिसमें अंतरिती बैंक के कर्मचारियों के मुकाबले में उनकी परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण भी है, एक स्कीम बनाएगी । पूर्वोक्त स्कीम बनाते समय केन्द्रीय सरकार, सुसंगत बातों का जैसे कि अंतरक बैंक के कर्मचारियों के अनुबंध का ध्यान रखेगी ।

(5) अंतरक बैंक के कर्मचारियों के लिए गठित किसी भविष्य निधि, उपदान और ऐसी अन्य निधियों के न्यासी या प्रशासक इस स्कीम के प्रारंभ पर या यथाशक्य शीघ्र, अंतरक बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए न्यास में धारित सभी धन और विनिधानों को, अंतरिती बैंक के लिए गठित कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान और ऐसी अन्य निधियों के न्यासियों का या अन्यथा, जैसा कि अंतरिती बैंक निदेशित करे, अन्तरित करेंगे :

परन्तु यह कि, उक्त पश्चात् कथित न्यासी विनिधानों की कीमत में कमी के लिए या इस स्कीम के प्रारंभ के पहले किए गए किसी कृत्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे ।

[फा. सं. 1/2/93-बी.ओ.-I(i)]

आर. व्ही. गुप्ता, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 1993

S.O. 662(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following Scheme, namely:—

Chapter-I

Introductory

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the New Bank of India (Amalgamation and Transfer of Undertaking) Scheme, 1993.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Scheme, unless the context otherwise requires:—

- "Act" means the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);
- "Board" means the Board of Directors constituted under clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980;
- "Chairman" in relation to a nationalised bank means the Chairman of the Board of that bank;
- "transferee bank" means Punjab National Bank;
- "transferor bank" means New Bank of India;
- words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter-II

3. Undertaking of New Bank of India to vest in Punjab National Bank.—On the commencement of this Scheme, the undertakings of New Bank of India shall be transferred to and shall vest in, Punjab National Bank.

4. General effect of vesting.—(1) The undertakings of the transferor bank shall be deemed to include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property, movable and immovable, cash balances, capital, reserve funds, investments and all other rights and interests in, or arising out of, such property as were immediately before the commencement of this Scheme in the ownership, possession, power or control of the transferor bank in relation to the undertakings, whether within or outside India, and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor bank in relation to the undertakings.

(2) Where any property is held by the transferor bank under any lease the transferee bank shall on and from the date of commencement of this scheme be deemed to have become the lessee in respect of such property as if the lease in relation to such property had been granted to the transferee bank and thereupon all the rights under such lease shall be deemed to have been transferred to, and vested in, the transferee bank;

Provided that on the expiry of the term of any lease referred to in this sub-clause such lease shall, if so desired by the transferee bank, be renewed on the same terms and conditions on which the lease was held by the transferor bank immediately before the date of commencement of this Scheme.

(3) If, according to the laws of any country outside India, the provisions of this Scheme by themselves are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the transferor

bank to, or in, the transferee bank, the affairs of the transferor bank in relation to such asset or liability shall, on and from the commencement of this Scheme stand entrusted to the Chief Executive Officer for the time being of the transferee bank, and the Chief Executive Officer may exercise all powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the transferor bank for the purpose of effectively transferring such assets and discharging such liabilities.

(4) The Chief Executive Officer of the transferee bank shall, in exercise of the powers conferred on him by such-clause (2) take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of effecting such transfer or vesting, and may either himself or through any person authorised by him in this behalf realise any asset and discharge any liability of the transferor bank.

(5) Unless otherwise expressly provided by this Scheme, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect, immediately before the commencement of this Scheme and to which the transferor bank is a party or which are in favour of the transferor bank, shall be of full force and effect against or in favour of the transferee bank, and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor bank the transferee bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee bank.

(6) If, immediately before the commencement of this Scheme, any suit, appeal or other proceedings of whatever nature in relation to any business of the undertakings which have been transferred under clause 3, is pending by or against the transferor bank, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertakings of the transferor bank or of anything contained in this Scheme but the suit, appeal or other proceeding may be continued, prosecuted and enforced by or against the transferee bank.

5. Dissolution of the Board of Directors, etc.—(1) On and from the commencement of this Scheme :—

(a) the Chairman or any other wholetime director, including the Managing Director, of the Transferor bank shall cease to hold office and shall be entitled to receive three months' salary and allowances in lieu of the notice of three months specified in sub-clause (2) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980;

(b) The Board of Directors of the transferor bank shall stand dissolved.

(2) Save as otherwise provided in this Scheme, every officer or other employee of the transferor bank shall become, on the commencement of this Scheme an officer or other employee, as the case may be, of the transferee bank and shall hold his office or service in that bank on the same terms and conditions and with the same rights to pension, gratuity and other matters as would have been admissible to him if the undertakings of the transferor bank had not been transferred to and vested in the transferee bank subject, however, to such facilities being available at the time of the transfer to similarly placed officers and employees of the transferee bank and continue to do so unless and until his employment in the transferee bank is terminated or until his remuneration, terms or conditions are duly altered by the transferee bank.

(3) Any officer or other employee of the transferor bank who does not want to hold his office or service in the transferee bank under sub-clause (2) shall be entitled to leave his office or service on the same terms and conditions and with the same rights to pension, gratuity and other matters as would have been admissible to him if the undertaking of the transferor bank had not been transferred to and vested in the transferee bank.

(4) The Central Government shall, as soon as possible after the commencement of this Scheme, make a Scheme in consultation with Reserve Bank of India for determining the placement of the employees of the transferor bank including the determination of their inter-se seniority vis-a-vis the employees of the transferee bank. While making the Scheme the Central Government shall take account of relevant factors such as experience of the employee of the transferor bank.

(5) The trustees or administrators of any Provident Fund, Gratuity and such other funds constituted for the employees of the transferor bank, shall on, or as soon as possible after, the commencement of this Scheme, transfer to the trustees of the employees Provident Fund, Gratuity and any other fund, constituted for the transferee bank or otherwise as the transferee bank may direct, all monies and investments held in trust for the benefit of the employees of the transferor bank :

Provided that such latter trustees shall not be liable for deficiency in the value of investments or in respect of any act, neglect or default done before the commencement of this Scheme.

[F. No. 1/2/93-BO.(i)]

R. V. GUPTA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर, 1993

का.आ. 663 (अ)—न्यू बैंक आफ इंडिया (उपक्रमों का समावेशन और अन्तर्गण) स्कीम, 1993 के पैरा 1 के उप पैरा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सितम्बर, 1993 की 4 तारीख को नियत दिन के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस तारीख को उपर्युक्त स्कीम लागू होगी।

[सं. एक. 1/2/93-बी.ओ.—I(ii)]

आर. व्ही., गुप्ता, अपर सचिव

New Delhi, the 4th September, 1993

S.O. 663(E).—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 1 of New Bank of India (Amalgamation and Transfer of Undertaking) Scheme, 1993, the Central Government hereby specifies the 4th day of September, 1993 as the appointed date on which the aforesaid Scheme shall come into force.

[F. No. 1/2/93-B.O.(ii)]

R. V. GUPTA, Addl. Secy.